

कार्यालय ग्राम पंचायत पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण जिला – बाड़मेर

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अन्तर्गत निम्न लाभार्थियों के नाम स्थाई वरियता सूची में शामिल हैं। दिनांक को आयोजित ग्राम सभा द्वारा भौतिक सत्यापन एवं योजनान्तर्गत निर्धारित 14 मापदण्डों के परीक्षण उपरान्त पात्र/अपात्र माना गया है। इस हेतु ग्राम पंचायत के ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही विवरण के रजिस्टर के पृष्ठ संख्या पर प्रस्ताव संख्या के अनुसार सर्वसम्मति से निम्नानुसार अनुमोदन किया गया है।

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	पिता का नाम	गांव का नाम	PMAY-G ID	PWL में वरियता क्रमांक	अनुशंषा पात्र/अपात्र

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण

सरपंच
ग्राम पंचायत
पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण

विकास अधिकारी
पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण
जिला – बाड़मेर

कार्यालय ग्राम पंचायत पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर

क्रमांक – ग्राप/आवास/2022/

दिनांक :

ग्राम का लाभार्थी पिता/पति का नाम PMAY-G ID RJ----- वर्ग वरियता क्रमांक जो कि दिनांक को आयोजित विशेष ग्राम सभा में अपात्र पाया गया हैं, जो निम्नानुसार वर्णित बिन्दुओं से अपात्रता रखता हैं। जिसका प्रमाण उक्त दिनांक को आयोजित ग्राम सभा में सबके सम्मुख अपात्र घोषित किया जाता हैं –

क्र. सं.	अपात्रता का कारण (कोई एक अनिवार्य)	अपात्र बिन्दु का चयन करें
1	पूर्व में मकान/पूर्व में आवास योजना में लाभान्वित परिवार।	
2	लाभार्थी की मृत्यु हो गई है एवं लाभार्थी के परिवार में कोई नहीं हैं।	
3	लाभार्थी सम्बन्धित ग्राम पंचायत से पलायन या चला गया है।	
4	लाभार्थी के पास किसी भी प्रकार का वाहन मोटरसाईकिल/टेम्पो/कार/जीप या मछली पकड़ने वाली नाव होना।	
5	किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50000 से अधिक होना।	
6	मशीनरी थ्री व्हीलर/फोर व्हीलर होना।	
7	लाभार्थी के परिवार में कोई भी सदस्य का राजकीय सेवा में होना।	
8	लाभार्थी के परिवार में कोई भी सदस्य का गैर कृषि उद्यम में पंजीकृत होना।	
9	लाभार्थी के परिवार में कोई भी सदस्य जो मासिक 10000 कमाता हो।	
10	टैक्स भरने वाला होने के कारण।	
11	पेशेवर कर का भुगतान करने वाला हो।	
12	घर पर फ्रीज होना।	
13	बेसिक फोन होना।	
14	खुद की 2.5 एकड़ जमीन होना एवं साथ ही कृषि यंत्र होना।	
15	5.0 एकड़ या 2 या 2 से अधिक फसल के मौसम के लिए सिंचित भूमि होना।	
16	कम से कम 7.5 एकड़, भूमि या कम से कम 1 सिंचाई उपकरण के साथ होना।	

सरपंच
ग्राम पंचायत

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत